

2019

लोकसभा आम चुनाव 2019

UPDATED BY-

BHAGWAT SINGH RATHORE

RAS

(OIC TRAINING CELL, AJMER)

MUKESH SHARMA(SLMT)

BHAGWAT PRASAD (SLMT)

RAJENDER KUMAR PARASAR(DLMT)

JAIKANT SHARMA(ALMT)



षष्ठम सत्र

- प्रपत्र लिफाफा और रिपोर्ट तैयार करना

मतदाता रजिस्टर

मतदाता रजिस्टरप्रारूप 17क

(नियम 49 ठ देखिये)

मतदाता रजिस्टर

.....**ब्यावर 103**.... निर्वाचन क्षेत्र से...**राजस्थान**.....

लोक सभा /राज्य की विधान सभा....**2018**....

के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ..**141**...**रा.प्रा.वि बाड़िया श्यामा**
निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .**141**...**रा.प्रा.वि बाड़िया श्यामा**...

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

अनुलग्नक - 5

(अध्याय 16 अनुच्छेद-16.2)
पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा
भाग-I

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।

चुनाव से.....लुधियाना (10.3) लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र।

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम.....141 डा. प्रा. वि. बाड़ीया श्यामा

मतदान दिवस की दिनांक.....07-12-2018.....

मैं घोषणा करता हूँ कि

(1) मैंने मतदान अभिकर्ताओं व अन्य उपस्थित लोगो के सामने मॉक-पोल का प्रदर्शन किया है कि—

(क) मॉक-पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नहीं है।

(ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नहीं की गई है।

(ग) वोटो के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमे मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टियाँ नहीं होंगी।

(2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये है जो मतदान मशीन की नियन्त्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये है।

(3) नियन्त्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी/ मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है कि वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

भाग II

पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मतदान मशीन के उपयोग में लाते समय की गई घोषणा (यदि कोई होतो)
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।
चुनाव से.....लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र।
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम.....
मतदान दिवस की दिनांक.....
मैं घोषणा करता हूँ कि

- (1) मैंने मतदान अभिकर्ता/बूथ अभिकर्ता व अन्य उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शन किया है कि—
 - (क) मॉक-पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नहीं है।
 - (ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नहीं की गई है।
 - (ग) वोटों के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमें मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टियाँ नहीं होंगी।
- (2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये हैं जो मतदान मशीन की नियन्त्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता/बूथ अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये हैं।
- (3) नियन्त्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।
- (4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।
- (5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

- 1 (अभ्यर्थी से संबंधित) 2 (अभ्यर्थी से संबंधित)
3 (अभ्यर्थी से संबंधित) 4 (अभ्यर्थी से संबंधित)

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

- 5(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 6(अभ्यर्थी से संबंधित)
7(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 8(अभ्यर्थी से संबंधित)
9(.....अभ्यर्थी से संबंधित)

निम्न मतदान अभिकर्ताओं ने उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से मना किया।

- 1(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 2.(अभ्यर्थी से संबंधित)
3(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 4.(अभ्यर्थी से संबंधित)


हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनांक...7/12/2018

भाग—III

चुनाव समाप्ति पर की गई घोषणा
जो मतदान अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर नीचे किये गये हैं। उन्हें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जो कुल दिये गये मतों की संख्या (17 सी) के द्वारा जो नियम 49-5(2) चुनाव नियमावली 1961 है दे दी गयी है।


हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनांक...7/12/18

समय5.30 PM

उन मतदान अभिकर्ताओं/ बूथ अभिकर्ताओं जिन्हें हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें दिये गये कुल मतों का संधारण हो। (Part I of form 17 C)

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

- 1(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 2(अभ्यर्थी से संबंधित)
3(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 4(अभ्यर्थी से संबंधित)
5(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 6(अभ्यर्थी से संबंधित)

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

7(.....अभ्यर्थी से संबंधित) 8(अभ्यर्थी से संबंधित)

9(.....अभ्यर्थी से संबंधित)

उन मतदान अभिकर्ताओं/ बूथ अभिकर्ताओं जिन्हें हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें दिये गये कुल मतों का संधारण हो मना कर दिया गया है।

1NIL.....(.....अभ्यर्थी से संबंधित)


हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....7/12/2018
समय5:30 pm

भाग -IV

मतदान मशीन को सील करने के पश्चात की गयी घोषणा
मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन की नियंत्रण ईकाई (CU) व बैलेट ईकाई (BU) जिन कैरिंग बाक्सेस में रखी जाती है उन पर मैंने अपनी सील लगा दी है एवं कुल मतदान अभिकर्ताओं/बूथ अभिकर्ताओं को भी सील लगाने की अनुमति दी जाती है जो मतदान के समय वहां पर उपस्थित थे।


हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....7/12/2018.
समय5:45 pm.

निम्नांकित अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

निम्न मतदाताओं ने हस्ताक्षर करने से मना किया अथवा अपनी मुहर अंकित करना नहीं चाहते हैं।

1NIL.....(अभ्यर्थी से संबंधित.....)

2(अभ्यर्थी से संबंधित.....)

दिनांक.....7/12/2018


पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ 1 के अनुसार
निर्वाचक की क्रम संख्या.....213.....

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक क्रम
संख्या.....12.....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर.....रुरुरुरु

निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा

अनुलग्नक - 7

(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.10.2)

निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। यह आयु 1 जनवरी 2018 के संदर्भ में है। अर्थात् अर्हता तिथि आयु के संदर्भ में जो कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची बनी है या पुनरीक्षित हुई है।

मुझे दंडात्मक प्रावधान के बारे में पता है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 31 के अनुसार है। इसके अनुसार मतदाता सूची में शामिल किये गये किसी भी व्यक्ति के नाम से संबंधित किसी प्रकार की झूठी घोषणा इस अधिनियम के अंतर्गत आती है।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता केX X X

पिता/माता/पति का नाम.....X.X.X.X

मतदाता सूची की भाग संख्या141

मतदाता की क्रम संख्या212

दिनांक.....7/12/2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे सम्मुख की गई है।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी212

नम्बर व नाम मतदान केंद्र का141 रा. प्र. वि. आडीयाशपासा

दिनांक.....7/12/2018

अल्प आयु वर्ग के मतदाता से संबंधित सूची

अनुलग्नक - 9

(अध्याय 18, पैरा 18.10.3)
अल्प आयु वर्ग के मतदाताओं से संबंधित सूची

चुनाव क्षेत्र अ्यावर (103) (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम 141 राधा विवाडीया श्यामा

भाग - 1

मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के लिए घोषणा प्राप्त की

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.	aaaa	141 / 218	18	18
2.				
3.				
4.				

भाग - 2

मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इन्कार किया :-

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.	bbbb	141 / 418	18	12
2.				
3.				

दिनांक :- 7/12/18


पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

चुनौती फीस रसीद

अनुलग्नक - 8

(अध्याय 18, अनुच्छेद 18.5.1)

पावती रसीद

अनुलग्नक- 8

अध्याय XVIII अनुच्छेद 5

चुनौती शुल्क के लिये रसीद	सरकार द्वारा जब्त करना	चुनौती शुल्क के लिये रसीद
पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u> रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) की राशि प्राप्त की नकद रूप में श्री <u>DDDD</u> उम्मीदवार/चुनावी एजेंट/ मतदान एजेंट चुनौती के लिये जमा का कारण Rule 36 के अंतर्गत निर्वाचन नियम 1961 दिनांक <u>7/12/18</u> पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के <u>31P</u> संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी वापस पुनः प्राप्त राशि 2/- रु की (दो रुपये मात्र) Rule 36 के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन नियम 1961 के अंतर्गत दिनांक <u>7/12/18</u> नाम व हस्ताक्षर अभ्यर्थी/चुनाव <u>DDDD</u> अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता	पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u> पीठासीन अधिकारी का कार्यालय मतदान केन्द्र की संख्या <u>141</u> संसदीय की/ <u>संसदीय (103)</u> विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2/-रुपये (दो रुपये मात्र) नकद प्राप्त किये श्री <u>DDDD</u> ...मतदाता/ मतदान अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता द्वारा चुनौती दिये जाने के कारण निर्वाचन नियम 1961 नियम 36 के अंतर्गत मतदान केन्द्र <u>141</u> दिनांक <u>7/12/18</u> पीठासीन अधिकारी <u>31P</u>

थानाधिकारी को शिकायत पत्र

अनुलग्नक - 6
(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.6.1)
थानाधिकारी को शिकायत पत्र

सेवामें,
श्रीमान् थानाधिकारी,

विषय:- मतदान केन्द्र पर प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र 141 (क्रम संख्या
व नाम) जो विधान सभा अयावर (103) व संसदीय क्षेत्र राजसमन्द (22)
पर मतदान के प्रतिरूपण के क्रम में शिकायत।

मतदान दिवस 7.12.2018

श्रीमान्

मेरे द्वारा यह सूचना दर्ज कराई जाती है कि श्री XXXX पुत्र श्री YYY
..... एवं निवासी आडीपाश्यामा ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचान को चुनौती दी
है जिसे सौंपा जा रहा है ZZZ इस व्यक्ति ने दावा किया है कि
XXX इसका नाम मतदाता सूची की क्रम संख्या 212 में भाग
संख्या 141 इस विधान सभा क्षेत्र अयावर (103) की सूची में है। किन्तु यह
अपने आप को मतदाता साबित नहीं कर पाया है। मेरी राय में उक्त व्यक्ति ढोंगी
है (imposter) अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अनुच्छेद 171-F भारतीय दण्ड संहिता
में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्थान आडीपाश्यामा

भवदीय,

3.1
हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

दिनांक 7/12/2018

प्रतिलिपि- 1. ERO विधान सभा क्षेत्र अयावर (103)

2. ERO लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द (22)

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

पावती रसीद

उक्त पत्र व व्यक्ति जो मुझे पीठासीन अधिकारी के द्वारा सौंपा जा रहा है समय
व दिनांक

नैत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा फार्म 14 क

अनुलग्नक-10
(अध्याय 22, पैरा 22.6)
नेत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा

..... ब्यावर (103) विधानसभा क्षेत्र (.....
..... राजसमन्द (११) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम..... 141 रा. प्र. वि. बाड़ीया श्यामा

मैं..... aaaa पुत्र/पुत्री..... bbbb आयु.....
19 वर्ष निवासी..... बाड़ीया श्यामा घोषणा
करता/करती हूँ कि :-

a) मैंने आज किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है.....

b) मैंने..... zzzz की तरफ से जो मत दर्ज किया है, मैं उसकी गोपनीयता को बनाये रखूंगा/रखूंगी।

aaaa
साथी के हस्ताक्षर

.....

‘पूर्ण पता लिखा जाना है।
Village - बाड़ीया श्यामा
Post - जात्रिया प्रथम
Teh - ब्यावर (अजमेर)

अनुलग्नक - 11 (अध्याय 29, पैरा 29.1.4) फॉर्म 17ग

[[देखें नियम 49एस तथा 56ग (2)]
भाग 1 - रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

उयावर (103) निर्वाचन क्षेत्र से डा. ज. श्याम लोक
सभा / राज्य / संघ-संघ क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम :- 141 डा. प्र. वि. बाड़ीया श्याम
मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक

कण्ट्रोल यूनिट C-32212
बैलेट यूनिट B-10008
वीवीपेट 7892

- मतदान केन्द्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 813
- मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17क) में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या 613
- नियम 49ओ के अन्तर्गत मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 02
- नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात ना किये गये मतदाताओं की संख्या 01
- नियम 49 एम.ए.(d) के अन्तर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए
(क) घटाये जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या :-

कुल संख्या 01 प्रारूप 17क के अनुसार मतदाता का क्रमांक 218

(ख) उम्मीदवार जिसके लिये टेस्ट वोट का उपयोग किया :

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	मतों की संख्या
<u>1</u>	<u>र. र. र.</u>	<u>1</u>

- वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गये मतों की संख्या 609
- क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित ना करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटाकर 4(2-3-4) पाया गया कोई अन्तर हो।
- उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49पी के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये 1
- निविदत्त मतपत्रों की संख्या

	क्रम सं.	से	तक	कुल मत
(a) प्रयोग में लिये प्राप्त मत	<u>00801</u>	से	<u>00825</u>	<u>25</u>
(b) निर्वाचकों को जारी किये गये	<u>00801</u>	से	<u>00801</u>	<u>01</u>
(c) अप्रयुक्त एवं लौटाए गये	<u>00802</u>	से	<u>00825</u>	<u>24</u>

17 ग

10. पेपर सीलों का लेखा:

1. प्रदाय की गई पेपर सीलें :-
कुल संख्या 2
क्र.सं. 00021 से 00022
तक
2. प्रयुक्त पेपर सीलें :-
कुल संख्या 1
क्र.सं. 00021 से 00021
तक
3. अप्रयुक्त पेपर सीले जो रिटर्निंग अधिकारी को लौटाई गई
कुल संख्या 1
क्र.सं. 00022 से 00022
तक
4. नष्ट हुई पेपर सीलें (यदि कोई हो) :
कुल संख्या 2
क्र.सं. — से —
तक

मतदान अभिकर्ता के
हस्ताक्षर

1. aaaa
2. bbbb
3. cccc
4.
5.
6.

दिनांक :- 7/12/18

स्थान :- वाडीया शमाभा

211
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र क्रमांक 141

भाग 2 मतगणना का परिणाम

उम्मीदवार की क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	कण्ट्रोल यूनिट में प्रदर्शित कुल मत	टेस्ट वोट की संख्या जिन्हें मद 5 के भाग 1 के अनुरूप घटाया जाना है	कुल वैध मत
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

17 ग

संख्या	नोटा			
योग			NIL	

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उन दोनों योगों में कोई अन्तर दर्शित होता है।

दिनांक :- ~~7-1-2~~

स्थान :-

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम

पूरे हस्ताक्षर

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

दिनांक :-

स्थान :-

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

लिफाफा 1

POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
.....
1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
.....
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
.....
3. मतदान की तारीख
.....
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
.....

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(1)

आम चुनाव - 201.....

लोक सभा / विधान सभा

अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा
(फार्म नं. 17 ग)

लिफाफा 1

POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)

1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक

न्यावर (103)

2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक

शा. प्रा. वि. बाडीयाश्याम (141)

3. मतदान की तारीख

7.12.18

4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर



काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(1)

आम चुनाव - 2018...

~~लोक सभा~~ / विधान सभा

अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा
(फार्म नं. 17-ग)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

अनुसूचक 12

(अध्याय 32, पैरा 32.1.1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ज्यावर (103)
2. मतदान की तारीख : 7.12.2018
3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम : 141 डा. ज. वि. कडीया इमामा

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है—

- ✓ (i) शासकीय या अर्द्ध- शासकीय भवन ;
- (ii) निजी भवन;
- (iii) अस्थायी संरचना;

4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो: 25-म
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण : 22-म
6. मतदान मशीन —

- (i) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की संख्या: CU 1
- (ii) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या : C-32212
- (iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या : BU 1
- (iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या: B-10008

7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या: 1
- (ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्या: 00021
- 7.(A)(i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या : 2
- (ii) प्रदाय लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक : 00811 से 00812
- (iii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या : 1
- (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक : 00811
- (v) उपयोग में न लाये गये, वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक : 00812
- 7.(B)(1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या : 2
- (2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक : 0751 से 0752
- (3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या : 1
- (4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक : 0751
- (5) उपयोग में न लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक : 0752
- 7 (C) जिन मतदान केन्द्रों में VVPAT का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम
- (i) उपयोग किये गये प्रिन्टर की संख्या 1
- (ii) प्रिन्टर का सरल क्रमांक 7892

पीठारसीन अधिकारी की डायरी

- 8 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकर्ता नियुक्त किये हैं। 2
9. (i) मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अधिकर्ताओं की संख्या 1
(ii) मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अधिकर्ताओं की संख्या 1
(iii) मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अधिकर्ताओं की संख्या 2
10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या ; 813
(ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या ; 613
(iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) के अनुसार मत दिया है ; 613
(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या। 609
(v) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो 02

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर मतदाताओं के रजिस्टर के शारसाधक
P O 1

प्रगारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
P O 2

- 11 निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये—
पुरुष 309
महिला 300
थर्ड जेन्डर 224
कुल 609
- 12 चुनौतीयुक्त (चैलेंज्ड) मत—
स्वीकृत संख्या 1
अस्वीकृत संख्या 224
जब्त की गयी रकम Rs 2 रुपये
- 13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण -पत्र (EOC) प्रस्तुत करने पर मत दिये : 224
- 13A विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिये हो:- 224
- 14 उन निर्वाचकों का संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया: एक
- 15 प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या : 224
- 16 निविदत्त मतों की संख्या: एक
- 17 निर्वाचकों की संख्या —
(a) जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की- एक
(b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया - 224
- 18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण: नहीं
19. प्रत्येक दो घंटों में डाले गये मतों की संख्या—

पीठासीन अधिकारी की डायरी

8 1/2 बजे पूर्वाह्न से 9 पूर्वाह्न तक	109
9 बजे पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक	209
11 बजे पूर्वाह्न से 1 अपराह्न तक	100
1 बजे अपराह्न से 3 अपराह्न तक	150
3 बजे अपराह्न से 5 अपराह्न तक	41

(मतदान के प्रारम्भ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

20.

(a) मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या : 22 न्य

(b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय 5.05 pm.

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण
मामलों की संख्या -

- (a) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचार: नहीं
- (b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना: नहीं
- (c) मतदाता केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को नहीं कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :
- (d) मतदाताओं को रिश्वत देना: नहीं
- (e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना: नहीं
- (f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना: नहीं

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई:-

- (1) बलवा: नहीं
 - (2) खुली हिंसा: नहीं
 - (3) प्राकृतिक विपत्ति: नहीं
 - (4) कूच पर कब्जा: नहीं
 - (5) मतदान मशीन का विफल होना: नहीं
 - (6) अन्य कोई कारण: नहीं
- कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्योरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन को:-

- (a) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर: नहीं
- (b) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके: नहीं
- (c) नुकसान पहुँचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया कृपया ब्योरा दें। नहीं

पीठासीन अधिकारी की डायरी

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायते, यदि कोई हो: **नहीं**
25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या: **नहीं**
26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो: **नहीं**
27. क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माक पोल करना (आवश्यक) तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं कीं। **हां**
- स्थान..... **खाडीया 2 ग्राम**
- तारीख **7.12.2018**
- 
पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 – पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ

लिफाफा 3 में रखकर काउन्टर 1 पर जमा करायें।

इस लिफाफे को खुला रखा जाता है।

पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट

अनुलग्नक-13 (अध्याय 9, पैरा 9.10.1)

निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप

1.	मतदान केन्द्र संख्या :	141
2.	केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किये गये है (हाँ/नहीं)	नहीं
3.	सूक्ष्म पर्यवेक्षक (माईको आब्जर्वर) नियुक्त किये गये है(हाँ/नहीं)	नहीं
4.	विडियो कैमरे स्थापित किये गये है	नहीं
5.	कुल निर्वाचक (मतदाता) :	813
6.	डाले गये मतों की संख्या :	609
7.	डाले गये मतों का प्रतिशत :	74.9
8.	अभ्यर्थियों की कुल संख्या :	12
9.	मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे अभ्यर्थियों की संख्या :	2
10.	उन निर्वाचकों (मतदाताओं) की संख्या जिन्होंने निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त दस्तावेजों का प्रयोग करते हुवे मतदान किया।	409
11.	क्या अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक-पोल किया गया ? हाँ/नहीं	हां
12.	क्या मॉक-पोल क्लीयर (Clear) गया ? हाँ/नहीं	हां
13.	क्या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मशीनो को समुचित रूप से बन्द एवं सील किया गया ? हाँ/नहीं	हां
14.	क्या मतदान अभिकर्ताओं को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17ग दिया गया ? हाँ/नहीं	हां
15.	मतदान की समाप्ति के समय टोकन प्राप्त कर सायं 5 बजे के पश्चात मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या:	शून्य
16.	क्या मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई ? हाँ/नहीं	नहीं

SLIPS OF MOCK POLL



DECLARATION FOR TEST VOTE

अनुलग्नक-15
(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)
नियम 49MA के अधीन घोषणा

~~संसदीय~~ **संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क.स. तथा नाम** 103 व्यावर
मतदान केन्द्र संख्या तथा नाम 141 रा.प्रा.वि. ब्राह्मिया इलाहा

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 49MA के अधीन निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप

1) मैं एतद् द्वारा निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 49 इ.क के उपनियम (1) के अधीन सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि बलेट यूनिट से सम्बद्ध प्रिन्टर द्वारा सृजित पेपर स्लिप से उस अभ्यर्थी जिसके लिये मैंने बलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम तथा चिन्ह के समक्ष सम्बन्धित बटन को दबाकर मत डाला था, के सिवाय किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम एवं चिन्ह प्रदर्शित हुआ है। मैं यह प्रदर्शित करने के लिये कि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप सही एवं वास्तविक है। पुनः एक परीक्षण मत दर्ज करने के लिये तैयार हूँ।

2) मुझे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 में दण्डित अपराधो की इस बात की जानकारी है कि मुझे कारावास की सजा दी जा सकेगी जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्धदण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई गई।

XXXXX

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
निर्वाचक का नाम.....X.X.X.X.....
पिता/माता/पति का नाम.....Y.Y.Y.Y.....
निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....141.....
उस भाग में निर्वाचक की क्र.सं.....212.....
मतदाताओं के रजिस्टर (17 क) में क्र.सं.....421.....

दिनांक.....7.12.2018.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा तथा उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।


पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....7.12.2018.....

DECLARATION FOR TEST VOTE

Annexure-26

General/Bye-Election to.....

Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency.....

No. and Name of Polling Station.....

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

1. I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.

(2). I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding Officer appointed under Section 26 of the RP Act, 1951 is found to be incorrect.

Signature/Thumb impression of the Elector
Name of the Elector.....
Father/Mother/Husband's Name.....
Part No. of elector roll.....
Sl. No. of elector in that Part.....
Sl. No. in Register of Voters (Form 17A).....

Dated.....

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.

Signature of the Presiding Officer
.....
Dated.....

DECLARATION FROM ASD VOTERS

अनुलग्नक-16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

उन निर्वाचको का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित / स्थानान्तरित / मृतको की सूची में है।

मैं एतद् द्वारा सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता / करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम क्यावर (103) निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली जो अर्हक दिनांक जनवरी 2018 की प्रथम दिनांक को तैयार / संशोधित की गई, के भाग संख्या 141 के क्र.सं. 212 पर है। मैं अवगत हूँ कि निर्वाचन में प्रतिरूपण करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171D के अन्तर्गत एक अपराध है।

XXXX

निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
नाम XXXX

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा एवं उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।



पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम 141 रा.प्र.
दिनांक 7/12/2018 वि

बाजीकरका

VISIT SHEET

अनुलग्नक - 17

(खंड 9, पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्ता / सहायक मतदान अभिकर्ता आवा-जाही (विजिट शीट) प्रपत्र-मतदान केन्द्र का नाम व संख्या

क्र०सं०	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या	प्रत्याशी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मतदान अभिकर्ता / सहायक अभिकर्ता का नाम	आने का समय	हस्ताक्षर	जाने का समय	हस्ताक्षर
1	राजसमन्द 22	डयार 103	XXXX	1234	XXXX	7.15	XXXX	12.20	XXXX
2									
3									
4									
5									


पीठासीन अधिकारी

लिफाफा 3 में रखकर काउन्टर 1 पर जमा करायें

सामग्री जमा की रसीद

अनुलग्नक 4

प्रारूप M21 – मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकार्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद
(झूलीकेट में तैयार करें)

राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत व्यावर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 103 मतदान केन्द्र क्रमांक 141 के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात् सौंपे गये मतदान मशीन/मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का वक्तव्य।

I. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन/मशीनों

(i) मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन/मशीनों : 1 संख्या

(ii) अनउपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन/मशीनों : 0 संख्या

II. पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे : 1 संख्या

III पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा : 1 संख्या

IV पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा : 1 संख्या

V मतदान कर्मचारियों के T.A. का Acquittance रोल : 1 संख्या

VI लिफाफे:-

(a) पैकेट-1 सांविधिक लिफाफे

1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा ;
2. मतदाताओं के रजिस्टर का मुहरबंद लिफाफा (प्रारूप 17A) ;
3. मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा ;
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा;
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17B की सूची की मुहरबंद लिफाफा।

(b) पैकेट 2-असांविधिक लिफाफे

सामग्री जमा की रसीद

- 1 निर्वाचक नामावली (विनियमित प्रति में गिना) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा
- 2 प्ररूप 10 में मतदान अधिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में युक्त लिफाफा;
- 3 प्ररूप 12B में निर्वाचन झूठी प्रमाण-पत्र से युक्त लिफाफा;
- 4 प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा;
- 5 प्ररूप 14A में दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;
- 6 निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अगिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा;
- 7 चुनौती दिये गये मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;
- 8 अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा;
- 9 अप्रयुक्त मतदाता रस्त्रों से युक्त लिफाफा
- 10 अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और
- 11 उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त रिट्रप सील का लिफाफा।

पैकेट 3-विविध

- 1 पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका
- 2 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
- 3 अमिट स्याही सैट
- 4 स्टाम्प पैड
- 5 पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर
- 6 निविदत्त मतपत्रों को विनियमित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प
- 7 अमिट स्याही रखने के लिए कप

पैकेट नम्बर 4 निम्नलिखित मदों से युक्त

- 1 निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा से युक्त लिफाफा।
- 2 अप्रयुक्त कपड़े का झोला/कपड़ा।
- 3 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात जिन्हें मुहरबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा।
- 4 अन्य समस्त मदें यदि कोई हों, चौथे पैकेट में बन्द की जानी चाहिए।

VIII मतदान कोष्ठ (Compartment)

: 1 संख्या

सौंपा गया

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक 141

प्राप्तकर्ता/प्राप्त करने वाले

अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

सप्तम सत्र मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

जिन लिफाफों पर यह मुद्रित रहता है कि
कौनसा लिफाफा सील करना है ,अर्थात्
चपड़ी से सील होगा । प्रत्येक लिफाफा
गोंद से चिपकाना है ।
लिफाफा कौनसे काउन्टर पर जमा होगा,
यह लिफाफा पर मुद्रित होता है ।

यदि किसी लिफाफा मे आप के बूथ संबंधित सूचना नहीं हो तो ,एक पेपर पर शून्य लिखकर ,पी.आर.ओ. अपने हस्ताक्षर करें, बूथ नम्बर लिखकर रखें। सभी लिफाफे संबंधित काउन्टर पर जमा कराये। कोई भी लिफाफा अपने पास नहीं रखे।

BU,CU,VVPAT के साथ निम्न लिफाफे काउंटर नम्बर 1 पर जमा होंगे

1. मतपत्र लेखा और पेपर सील का लेखा (लिफाफा नं. 1)
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएँ (लिफाफा नं. 2)
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी (लिफाफा नं. 3)
4. मोक पोल स्लिप का प्लास्टिक का डिब्बा

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

प्रथम पैकिट – सांविधिक लिफाफे

1. निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा (4)
2. मतदाताओं के रजिस्टर का सील्ड लिफाफा (5)
3. मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा (6)
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सील्ड लिफाफा (7)
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का सील्ड लिफाफा (8)

अन्य सामग्री पेकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

द्वितीय पैकेट— असांविधिक लिफाफे

1. निर्वाचन नामावली की शेष प्रतियों से युक्त लिफाफा (10)
2. प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा (11)
3. प्रारूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा (12)
4. प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त सील्ड लिफाफा (13)
5. प्रारूप 14क में अन्धे व शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा से युक्त लिफाफा (14)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा (15)
7. चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद और नकद राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा (16)
8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा (17)
9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा (9)
10. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग से युक्त लिफाफा (18)
11. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील से युक्त लिफाफा (19)

अन्य सामग्री पैकिंग के लिये कुल चार बड़े पैकेट बनेंगे

तृतीय पैकेट

1. पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3. अमिट स्याही सैट
4. स्टॉम्प पैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर
6. निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिये एंरोक्रास सील

चतुर्थ पैकेट

बचे हुये समस्त खाली फार्म, चपड़ी, मोमबत्ती थैला आदि समस्त बचा हुआ सामान चतुर्थ पैकेट में होगा।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी चाहिए ।

निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा

अनुलग्नक - 7

(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.10.2)

निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। यह आयु 1 जनवरी 2018 के संदर्भ में है। अर्थात् अर्हता तिथि आयु के संदर्भ में जो कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची बनी है या पुनरीक्षित हुई है।

मुझे दंडात्मक प्रावधान के बारे में पता है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 31 के अनुसार है। इसके अनुसार मतदाता सूची में शामिल किये गये किसी भी व्यक्ति के नाम से संबंधित किसी प्रकार की झूठी घोषणा इस अधिनियम के अंतर्गत आती है।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता के XXX

पिता/माता/पति का नाम..... Y.Y.Y.Y

मतदाता सूची की भाग संख्या 141

मतदाता की क्रम संख्या 212

दिनांक..... 7/12/2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे सम्मुख की गई है।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी 212

नम्बर व नाम मतदान केंद्र का 141 रा. प्र. वि. बाड़ीयाशपाड़ा

दिनांक..... 7/12/2018

अल्प आयु वर्ग के मतदाता से संबंधित सूची

अनुलग्नक - 9

(अध्याय 18, पैरा 18.10.3)
अल्प आयु वर्ग के मतदाताओं से संबंधित सूची

चुनाव क्षेत्र अयावर (103) (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम 141 राधा विवाडीया श्यामा

भाग - 1

मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के लिए घोषणा प्राप्त की

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.	aaaa	141 / 218	18	18
2.				
3.				
4.				

भाग - 2

मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इन्कार किया :-

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.	bbbb	141 / 418	18	12
2.				
3.				

दिनांक :- 7/12/18


पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

चुनौती फीस रसीद

अनुलग्नक - 8

(अध्याय 18, अनुच्छेद 18.5.1)

पावती रसीद

अनुलग्नक- 8

अध्याय XVIII अनुच्छेद 5

चुनौती शुल्क के लिये रसीद	सरकार द्वारा जब्त करना	चुनौती शुल्क के लिये रसीद
पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u> रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) की राशि प्राप्त की नकद रूप में श्री <u>DDDD</u> उम्मीदवार/चुनावी एजेंट/ मतदान एजेंट चुनौती के लिये जमा का कारण Rule 36 के अंतर्गत निर्वाचन नियम 1961 दिनांक <u>7/12/18</u> पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के <u>31P</u> संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी वापस पुनः प्राप्त राशि 2/- रु की (दो रुपये मात्र) Rule 36 के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन नियम 1961 के अंतर्गत दिनांक <u>7/12/18</u> नाम व हस्ताक्षर अभ्यर्थी/चुनाव <u>DDDD</u> अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता	पोथी नं. <u>1</u> पेज नं <u>1</u> पीठासीन अधिकारी का कार्यालय मतदान केन्द्र की संख्या <u>141</u> संसदीय की/ <u>संसदीय (103)</u> विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2/-रुपये (दो रुपये मात्र) नकद प्राप्त किये श्री <u>DDDD</u> ...मतदाता/ मतदान अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता द्वारा चुनौती दिये जाने के कारण निर्वाचन नियम 1961 नियम 36 के अंतर्गत मतदान केन्द्र <u>141</u> दिनांक <u>7/12/18</u> पीठासीन अधिकारी <u>31P</u>

थानाधिकारी को शिकायत पत्र

अनुलग्नक - 6
(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.6.1)
थानाधिकारी को शिकायत पत्र

सेवामें,
श्रीमान् थानाधिकारी,

.....क्यावर सदर.....
विषय:- मतदान केन्द्र पर प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र141.....(क्रम संख्या
व नाम) जो विधान सभा क्यावर (103) व संसदीय क्षेत्र राजसमन्द (22)
पर मतदान के प्रतिरूपण के क्रम में शिकायत।

मतदान दिवस7.12.2018.....

श्रीमान्

मेरे द्वारा यह सूचना दर्ज कराई जाती है कि श्रीXXXX..... पुत्र श्री
YYY..... एवं निवासी आडीया श्यामा ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचान को चुनौती दी
है जिसे सौंपा जा रहा हैZZZ..... इस व्यक्ति ने दावा किया है कि
XXX..... इसका नाम मतदाता सूची की क्रम संख्या212..... में भाग
संख्या141..... इस विधान सभा क्षेत्र क्यावर (103) की सूची में है। किन्तु यह
अपने आप को मतदाता साबित नहीं कर पाया है। मेरी राय में उक्त व्यक्ति ढोंगी
है(imposter) अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अनुच्छेद 171-F भारतीय दण्ड संहिता
में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्थानआडीया श्यामा.....

भवदीय,

3.12
हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....7/12/2018.....

प्रतिलिपि- 1. ERO विधान सभा क्षेत्र क्यावर (103)

2. ERO लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द (22)

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

पावती रसीद

उक्त पत्र व व्यक्ति जो मुझे पीठासीन अधिकारी के द्वारा सौंपा जा रहा है समय
व दिनांक

नैत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा फार्म 14 क

अनुलग्नक-10
(अध्याय 22, पैरा 22.6)
नेत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा

..... अ्यावर (103) विधानसभा क्षेत्र (.....
..... राजसमन्द (११) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है)
मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम..... 141 रा. प्र. वि. आजीया श्यामा
मैं..... aaaa पुत्र/पुत्री..... bbbb आयु.....
19 वर्ष निवासी..... आजीया श्यामा घोषणा
करता/करती हूँ कि :-
a) मैंने आज किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है.....
b) मैंने zzzz की तरफ से जो मत दर्ज किया है, मैं उसकी गोपनीयता को बनाये रखूंगा/रखूंगी।
..... aaaa
साथी के हस्ताक्षर
.....
'पूर्ण पता लिखा जाना है।
Village - आजीया श्यामा
Post - जात्रिया प्रथम
Teh - अ्यावर (अजमेर)

Zzz का मतलब नैत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं से है

धन्यवाद